राष्ट्रीय महिला आयोग

*डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मीणा
**मंजू कंडीरा

शोध सारांश

महिलाओं के हितों की रक्षा करने के प्रयोजन से पारित राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की अनुपालना में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। आयोग को मिले व्यापक अधिदेश में महिलाओं के विकास से संबंधित लगभग सभी मुद्दे आते हैं अर्थात् संविधान एवं अन्य विधियों में महिलाओं को प्रदत्त रक्षोपायों का विश्लेषण और जांच करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना, संविधान एवं अन्य विधियों में महिलाओं को प्रभावित करने वालें विद्यमान प्रावधानों का पुनरीक्षण करना तथा ऐसी विधियों में किसी कमी, अपर्याप्त या त्रुटियों को दूर करने के लिए संशोधनों की सिफारिश करना, महिलाओं के अधिकारों आदि की वंचनाओं संबंधी विषयों पर प्राप्त शिकायतों को देखना तथा ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान लेना और उपयुक्त अधिकारियों के साथ इन मद्दों को उठाना महिलाओं से संबंधित मुद्दों का अध्ययन एवं शोध करना महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भाग लेना और उस पर परामर्श देना तथा इस संबंध में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना। जेलों, सुधार गृहों आदि का जहां महिलाओं को रखा जाता है, निरीक्षण करना और जहां आवश्यक हो उपचारात्मक कार्यवाही करना।

इस अधिदेश के अनुसरण में आयोग ने महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में विभिन्न कदम उठाए और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्यवाही की। आयोग की अध्यक्षा, सदस्यों एवं अधिकारों ने देश के विभिन्न भागों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय आयोग, गैर–सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, जन सुनवाई बैठकों आदि में भाग लिया और महिलाओं पर किए गये अत्याचारों के विभिन्न मामलों की जांच की। इसके अतिरिक्त वे जेल एवं अस्पतालों में भी गए और गैर–सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों के महिला अध्ययन केन्द्रों द्वारा महिलाओं के कानूनी अधिकारों के संबंध में आयोजित किए गए कानूनी जागरूकता कैम्पों में भाग लिया ताकि वहां महिलाओं द्वारा सहन की जा रही समस्याओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी कर उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया जा सके और संबंधित प्राधिकारियों के साथ इन मामलों को उठाया जा सके। महिलाओं से संबंधित विभिन्न मामलों पर सिफारिशें करने के लिए आयोग में एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया है।

संगठनात्मक ढाँचा

राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष तथा पांच सदस्य होते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा

होती है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। आयोग के पास एक्ट की धारा के अन्तर्गत सिविल कोर्ट के समान शक्तियां हैं। आयोग भारत के किसी भी भाग में व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है तथा उसकी अपने समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित कर सकता है। आयोग का अधिकार क्षेत्र वर्तमान जम्मू कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत का क्षेत्र है। राष्ट्रीय महिला आयोग का संगठानात्मक संरचना का चार्ट निम्न प्रकार है।

चार्ट : संगठनात्मक संरचना

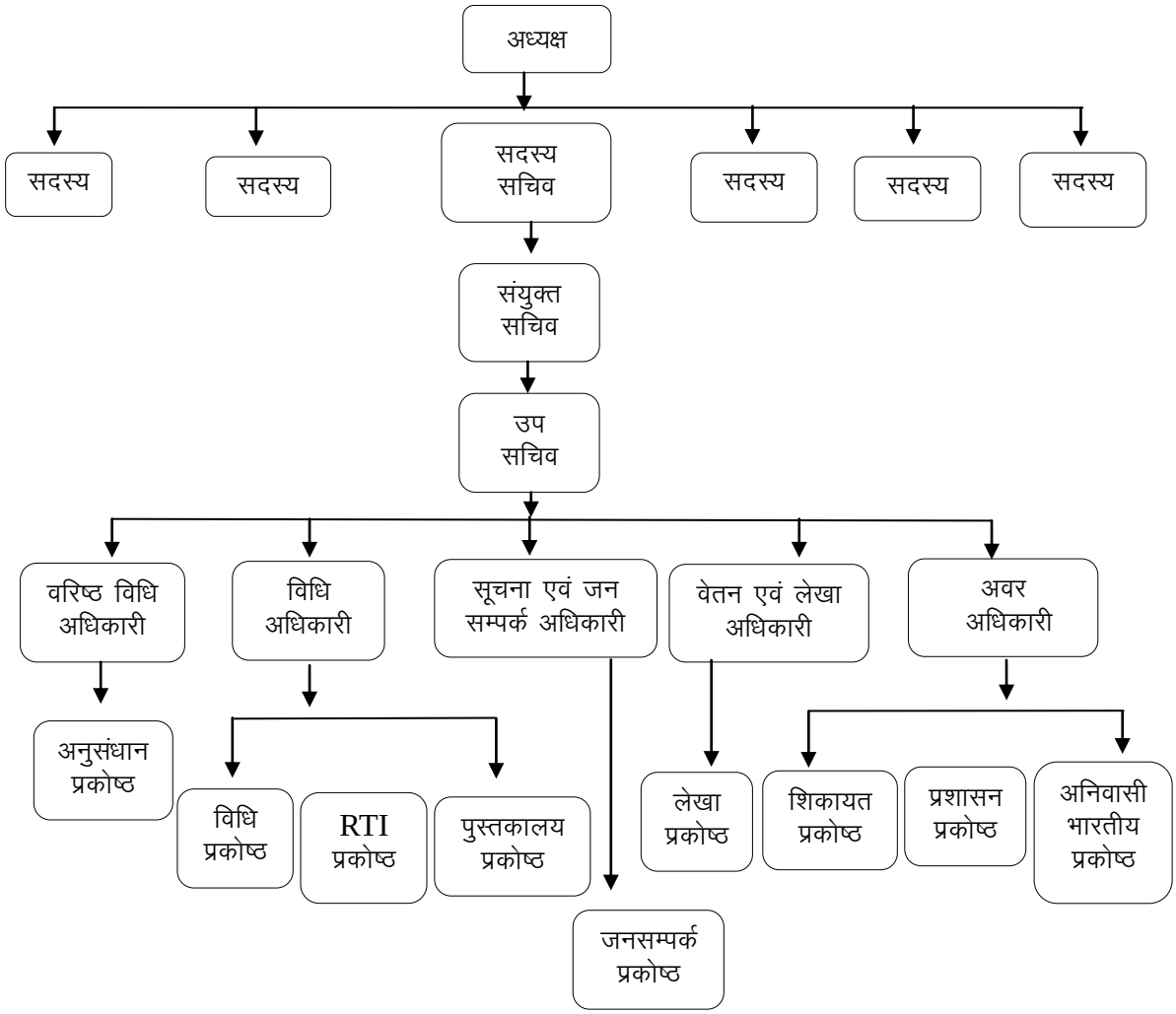

शिकायत एवं जांच (सी एंड आई) प्रकोष्ट

शिकायत एवं जांच (सी एंड आई) प्रकोष्ठ आयोग का एक महत्वपूर्ण संघटक यह समूचे देशभर से प्राप्त ऐसी शिकायतों को सुलझाता है, जहाँ कहीं किसी महिला के अधिकार का कोई हनन हुआ हो अथवा महिलाओं के साथ अन्याय अंतर्ग्रस्त होने वाला कोई मुद्दा शामिल हो। शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ मौखिक, लिखित रूप में तथा आयोग की वेबसाईट के जरिए ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करता है। आयोग महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराधों के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग, 1990 की धारा 10 के अंतर्गत स्वतः संज्ञान लेकर भी कार्यवाही करता है।

आयोग में प्राप्त और पंजीकृत शिकायतों को मुख्य रूप से निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जा सकता है– तेजाब से हमला, हत्या का प्रयास, बलात्कार का प्रयास, बहुविवाह, व्यभिचार, बालकों की अभिरक्षा, साइबर अपराध, परित्याग, तलाक, घरेलू हिंसा, वैवाहिक विवाद, दहेज हत्या, दहेज उत्पीड़न, बालिका शिशु हत्या, भ्रूणहत्या, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, दहेज हेतु उत्पीड़न, निर्दयता पूर्ण व्यवहार, अपहरण, भगा ले जाना, भरण–पोषण, विविध, महिला के साथ छेड़छाड़ करना, उसे तंग करना, हत्या, अनधिदेशित, अनिवासी भारतीयों से विवाह, पुलिस की उदासीनता, पुलिस द्वारा उत्पीड़न, संपति (विधवा की संपति, माता–पिता की संपति, महिला धन) बलात्कार, कार्य, आश्रय, पुनर्वास आदि

राष्ट्रीय महिला आयोग को बड़ी संख्या में शिकायतें मिलीं तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए कई मामलों का स्व–प्रेरणा से संज्ञान लिया। आयोग ने कानूनी जागरूकता कार्यक्रम, पारिवारिक महिला लोक अदालतें आयोजित की तथा कार्यशालाएं, परामर्श बैठकें आयोजित की और मादा भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति हिंसा एवं बाल विवाह आदि जैसी सामाजिक बुराईयाँ के विरूद्ध समाज में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रचार अभियान चलाये।

आयोग का सूचना–पत्र

आयोग का 'राष्ट्र महिला' नामक मासिक सूचना पत्र, जो अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में प्रकाशित होता है, जो सम्पूर्ण देश में महिला कार्यकत्ताओं, विधिक बिरादरी के सदस्यों, प्रशासकों, न्यायपालिका के सदस्यों, गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, विद्वानों तथा छात्रों को आयोग के कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। यह सूचना पत्र आयोग के क्रिया कलापों के साथ–साथ आयोग के पास दर्ज शिकायतों के संबंध में सफलता की कहानियों तथा साथ ही महिलाओं को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण अदालती तथा सरकारी निर्णयों को उजागर करता है। मुद्रण पर बढ़ती हुई लागत के बावजूद यह सूचना–पत्र पाठकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। यह मासिक सूचना–पत्र आयोग की वेबसाइट अर्थात् पर भी उपलब्ध ूण्दबूण्दपबण्पद रहता है।

राष्ट्रीय महिला नीति 2001

इस नीति को भारत सरकार ने 20 मार्च 2001 को स्वीकार किया था। इसका मुख्य लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण करना, उनके प्रति हर भेदभाव को खत्म करना और जीवन व सामाजिक गतिविधियों के हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उन्हें शामिल किया जाना, न्यायिक कानून व्यवस्था को उनके प्रति संवेदनशील बनाना, उनके प्रति सब प्रकार की हिंसा को खत्म करना, इन सबके अलावा बालिकाओं को जन्म के साथ ही उनके सम्पूर्ण मौलिक अधिकारों की प्राप्ति में सभी इस नीति के मुख्य बिंदु भिन्न है। महिलाओं के पूर्ण

विकास के लिए आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से एक ऐसा वातावरण तैयार करना है। जिससे वे अपनी पूर्ण क्षमताओं की पहचान कर सकें तथा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक सभी क्षेत्रों में महिलायें पुरूषों के समान ही अपनी मूलभूत स्वतंत्रताओं व मानवाधिकारों का, जो वैधानिक शक्तियों से उन्हें मिलें हैं, वे वास्तव में उपभोग कर सकें और राष्ट्र के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की बराबर पहुंच हों और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनकी बराबर की भागीदारी हो। स्वास्थ्य, चिकित्सा, सभी स्तरों पर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा व सार्वजनिक कार्यक्रमों तक महिलाओं की पहुँच हो। महिलाओं के प्रति सभी प्रकार की हिंसा को खत्म करने के लिए न्याय व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था को मजबूत करना। महिला व पुरूष दोनों के साझा प्रयासों में सामाजिक दृष्टिकोण और सामुदायिक परम्पराओं व रीति रिवाजों का बदलना है। विकास प्रक्रिया में महिलाओं के लैंगिक दृष्टिकोण को मुख्यधारा में लाना। महिलाओं और बालिकाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभाव और हिंसा को खत्म करना। नागरिक समाज, विशेष कर महिला संगठनों के साथ भागीदारी को और अधिक मजबूत करना।

महिला समाज के उत्थान से तात्पर्य है, सामाजिक पक्षपात से मुक्ति। महिला का अर्थ यह कदापि नहीं है की समाज महिला प्रधान हो जाये और समाज पुरूषों का शोषण करने लगे या प्रताड़ित करने लगे। महिला समाज के उत्थान का तात्पर्य है, उसे उसके प्रति निरंकुशता, क्रूरता, अमानवीय व्यवहार से मुक्ति मिले, लिंग भेद से छुटकारा मिले सकें।

जिस प्रकार से केन्द्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग कार्य करता है। उसी तरह राजस्थान राज्य में भी महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्थान के लिए राजस्थान राज्य महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं महिला अधिकारिता निदेशालय कार्य कर रहा है। राज्य स्तर पर महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं विधिक दृष्टि से विकास की ओर अग्रसर करने के लिए अनेक कार्यक्रम, नीतियाँ एवं योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। राज्य स्तर पर महिला विकास के लिए उक्त योजनाओं के लिए कार्य योजना बनाई जाकर जिला स्तर पर एवं ब्लॉक स्तर के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए क्रियान्वयन किया जाता है। राजस्थान के राज्यपाल के अभिभाषण के जरिये पहली बार 1959 में यह कहा गया कि सरकार इस स्थिति के प्रति जागरूक है कि हमारी बालिका की शिक्षा पिछड़ी हुई है। इसके बाद में अभिभाषणों में महिलाओं का जिक्र विद्यालय शिक्षा से बालिकाओं को जोड़ने और माताओं को स्वास्थ्य की हल्की चर्चा से आगे नहीं बढा। राजस्थान में महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों पर निगाह डालने के लिए राज्यपालों के अभिभाषणों का सहारा लिया क्योंकि यह वह दस्तावेज होता है जिसमें सरकार अपने कामकाज का ब्यौरा जनता के सामने रखती है। इनसे यह पता चलता है कि पूरी 20वीं. सदी बीत जाने के आस–पास महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होने लगी है। पहली बार 2001 में राज्यपाल की अभिभाषण में कहा गया 'महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार ने अनेक कारगर कदम उठायें है।' यही वह समय है जब उत्पीडित महिलाओं को राहत देने उनकी मदद करने और उनके आर्थिक स्वावलम्बन की तरफ सरकारों का ध्यान गया। जहाँ मंत्रालय स्तर पर महिला विकास से सम्बन्धित नीतिगत निर्णय लिए जाते है, वहीं विभाग स्तर पर इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है। महिला एवं बालकों से सम्बन्धित संचालित योजनाओं की धरातल स्तर पर क्रियान्विति के लिए ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर महिला कार्यकर्ता कार्य करती है। राज्य स्तर पर महिला सशक्तिकरण की योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है।

*सहायक प्राफेसर
लोक प्रशासन विभाग
एस.एस.जैन सुबोध पी.जी. महाविद्यालय,
जयपुर (राज.)
**शोधार्थी
राजनीतिक विज्ञान विभाग

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत 2018 वार्षिक संदर्भ–ग्रंथ प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार पृष्ठ संख्या 36
2. पाण्डेय डॉ. अनुराधा, महिला सशक्तिकरण, इशिका पब्लिशिंग हाउस जयपुर 2010 पृष्ठ संख्या 185
3. वार्षिक रिपोर्ट 2017–18 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार पृष्ठ संख्या 1
4. भारत 2018 वार्षिक संदर्भ–ग्रंथ प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार पृष्ठ संख्या 825
5. भारत 2018 वार्षिक संदर्भ–ग्रंथ प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार पृष्ठ संख्या 826
6. वार्षिक रिपोर्ट 2017–18 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार पृष्ठ संख्या 161
7. भारत 2018 वार्षिक संदर्भ–ग्रंथ प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार पृष्ठ संख्या 834
8. वार्षिक रिपोर्ट 2017–18 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार पृष्ठ संख्या 10
9. भारत 2018 वार्षिक संदर्भ–ग्रंथ प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार पृष्ठ संख्या 830
10. मोदी डॉ. अनीता, महिला सशक्तिकरण : विविध आयाम, वाईकिंग बुक्स, जयपुर 2011 पृष्ठ संख्या 59–60
11. वार्षिक रिपोर्ट 2016–17 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार पृष्ठ संख्या 110